तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनात गीता देवी वगैरा प्रकरण सख्या 44/2021 धारा 136	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/3/2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लूणी द्वारा पत्रांक DILRMP/2019/3645 दिनांक 10.12.2019 के अनुसार DILRMP के तहत अपवादित खातों का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 LR Act 1956 के प्रस्तुत कर प्रस्तात अनुसार रेकर्ड में हिस्से संशोधित करने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी द्वारा DILRMP योजना के तहत अपवादित खातों के निस्तारण हेतु हल्का पटवारी सालावास की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सालावास के खसरा नं. 207,208,209,210,211,212,213,214,215 कुल 9 खसरों रकबा 15.08 बीघा में अप्रार्थीगण का हिस्सा मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 41 में भी स्पष्ट नहीं होने से उक्त खसरों में अप्रार्थीगणों का हिस्से का योग एक नहीं होता हैं। प्रस्ताव के संलग्न मौका हुई फर्द दिनांक 01.12.2018 के अनुसार मौके पर कब्जा–काश्त प्रस्ताव अनुसार होना बताया। इससे स्पष्ट हैं कि प्रस्ताव अनुसार हिस्सा दुरूस्त करेन पर अप्रार्थीगण की सहमति होना प्रतीत होता हैं। प्रार्थी के भी प्रस्ताव अनुसार रेकर्ड दुरूस्त कर हिस्से दर्ज करने की भी अनुशंषा की हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 LR Act के स्वीकार किया जाता हैं। तथा तहसीलदार लूणी माफिक प्रस्ताव अनुसार रेकर्ड में अप्रार्थीगण के हिस्से का आवश्यक इन्द्राज कर रेकर्ड दुरूस्ती करें। आदेश सुनाया गयझं पत्रावली फैसल शुमार होकर दपतर दाखिल हो।	

15/03/21

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी